

तारीख  
हम

हुम या कार्यवाही का तारीख/दिनांक

18-8-21

उपरोक्त पत्र को पढ़कर श्रीमती अशोकजी राजकाय  
काय से बाहर है। प्रकृति पर है / परिकल्प है।  
अतः पत्रावली दिनांक 18-8-21 को पेश हो।

श्रीमती

उपरोक्त अधिकारी माण्डल

29-6-21

पत्रावली पेश हुई, अभिमानरुपय द्वारा  
न्यायिक कार्य स्थगित / टिकार रखने  
से पत्रावली दिनांक 29-6-21 को पेश हो।

1-12-21

पत्रावली प्रशासन गाँवों के लोग अधिवान 2021  
केम्प ग्राम पंचायत भगवानपुर में पेश हुई अधिवान  
के सम्मन बाद शामिल होकर मासिक उपस्थिति  
एवं तहसीलदार माडल से प्राप्त रिपोर्ट को पेश  
पठ किया गया। प्रार्थना का प्रारम्भ पत्र स्वीकार  
किया जाकर निरवधि अलग से लिखा जाकर पेश  
पठ किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर  
जम्मा से कम हो।

श्री. पूजा रावतेना

उपरोक्त अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संव अधिवान 2021



श्रीमद्विद्या

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 208/20 प्रा०फा

1- श्री कल्याण शि० वंशीदारा वैरागी निवासी - गोकल्पपुरा तहसील (भारत) --प्रार्थी

1- श्री बट्टी शि० सराम-चमार निवासी - गौलिवास तहसील-मांडल(भारत) --विपक्षीगण

(पृष्ठंकित प्रा. का. ए. ए. ए.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 01-12-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा.ज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर लिया गया कि ग्राम गोकल्पपुरा पटवार हल्का गौमडियास तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. पृष्ठंकित पिटने पृष्ठ कुल किता 16 रकबा 5-7921 हेक्टेयर — स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23-11-20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गोकल्पपुरा पटवार हल्का गौमडियास तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. पृष्ठंकित पिटने पृष्ठ पर डंकित कुल किता 16 रकबा 5-7921 हेक्टेयर —

भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अश्वानपुरा को 1500/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे ।

डॉ. पूजा सक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल, जिला- भीलवाड़ा  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी को जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी  
डॉ. पूजा सक्सेना  
मांडल, जिला- भीलवाड़ा  
उपखण्ड अधिकारी मांडल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021